सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114466

पत्रांक 307/म0/93/15 दिनांक 25/12/2015

सेवा में,
माननीय मुख्य मंत्री,
झारखंड सरकार, राँची।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक बजट के उपबंधों में हरित बजट (ग्रीन बजट) की अवधारणा समाहित करने के संबंध में।**

महाशय,

सर्वविदित है कि झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। ये संसाधन राज्य के विकास का आधार हैं। व्यवस्था के तंत्र इनके दोहन की नीति का अनुपालन जनहित और राज्यहित में करें तो राज्य में अक्षय विकास की परिकल्पना साकार हो सकती है। परंतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के दौरान निर्धारित नीतियों एवं नियमों–परिनियमों का विवेकपूर्ण अनुपालन नहीं होने के कारण इनका प्रतिकूल प्रभाव प्रकृति, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर परिलक्षित हो रहा है। जलस्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, धरती के सतह की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, आसमान कलुषित हो रहा है, भूगर्भीय संसाधन विनष्ट हो रहे हैं। इसका सर्वाधिक कुप्रभाव जनस्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इससे आँखें मूंदे रहना भविष्य के लिये घातक होगा।

जिन गतिविधियों का राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर वहन क्षमता से अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वे गतिविधियाँ चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की हों या निजी क्षेत्र की, उन्हें नियंत्रित करना, नियंत्रण का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करना, इनके द्वारा हुये एवं हो रहे नुकसान की भरपाई करना तथा कराना और इसके बावजूद नहीं मानने वालों की गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत है। राज्य के आगामी वार्षिक बजट में समुचित प्रावधानों के माध्यम से इसकी शुरुआत की जा सकती है।

फिलहाल राज्य का वन एवं पर्यावरण विभाग तथा राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संदर्भ में राज्य के नियंत्रक उपकरण के रुप में चिन्हित हैं, पर ये दोनों ही उपकरण भोथरा साबित हो रहे हैं। इन दोनों की भूमिका अप्रभावी है। दोनों ही वस्तुस्थिति एवं अपने दायित्व के प्रति जाने–अनजाने संवेदनशील, क्षमतावान और ईमानदार नहीं हैं। जरूरत है कि राज्य के किसी एक विभाग या बोर्ड के भरोसे रहने की बजाय संबंधित सभी विभागों में इस संदर्भ में समुचित प्रावधान किये जायं, जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय और इन विभागों की गतिविधियों के कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर पड़ चुके, पड़ रहे तथा

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट – www.saryuroy.in

Scanned with OKEN Scanner

पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिये इन्हें सीधे जिम्मेदार ठहराया जाय और राज्य के बजट में इस हेतु समुचित वित्तीय, वैधानिक एवं दंडात्मक प्रावधान किये जायं।

केन्द्र और राज्य सरकार के कतिपय प्रतिष्ठान भी भूतल को भूर्गभ को, नदियों को और आसमान को घोर प्रदूषित कर रहे हैं। पतरातू एवं तेनुघाट ताप बिजली घर तथा बोकारो स्टील, सीसीएल, बीसीसीएल, डीवीसी की इकाइयाँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। राज्य और केन्द्र के नियंत्रक संस्थान इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इनके द्वारा अबतक प्रकृति पर किये गये अमानवीय अत्याचार का आकलन कर इनके कारण हो चुके नुकसान की भरपाई के लिये इन्हें विवश किया जाय और इनपर तदनुरूप अर्थ दंड निरूपित किये जायं। इन्हें न केवल नुकसान की भरपाई करने के लिये विवश किया जाय अपितु दीर्घकालीन कार्य योजना बनाकर हो चुके नुकसान को चरणबद्ध दुरुस्त करने के लिये इन्हें निदेशित किया जाय। इसके लिये इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु उपयुक्त शर्तों के अधीन बजटीय उपबन्ध किये जायं।

जिस तरह से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिये कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) का प्रावधान है, उसी तरह भारत सरकार ने उनके लिये कारपोरेट इनवायरनमेन्ट रिस्पांसिबिलिटी (सीइआर) की अधिसूचना भी की है। परंतु ये प्रावधान न तो चर्चित हैं और न ही प्रभावी बनाये जा रहे हैं। राज्य सरकार को आगामी बजट के माध्यम से इस दिशा में सार्थक प्रयत्न करना चाहिये।

सरकार के कतिपय विभागों में कर्तव्यपरायणता के अभाव के कारण इनके कार्यक्रमों से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भारी नुकसान पहुँच रहा है। इनमें वन एवं पर्यावरण विभाग, खनन विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग आदि की गतिविधियाँ प्रमुख हैं। उदाहरण स्वरुप लंबे समय से पतरातू ताप बिजली घर ने दामोदर की सहायक नदी नलकारी को और तेनुघाट विद्युत निगम ने तेनुघाट डैम को ही अपना ऐश पौंड बना लिया है। इसी प्रकार सीसीएल की केदला केलवाशरी ने चुटुआ नाला का और बीसीसीएल की मधुबन कोलवाशरी ने जमुनिया नदी का इस्तेमाल ऐश पौंड की तरह ऐश डिस्पोजल के लिये कर रहे हैं। डीवीसी के बोकारो व चंद्रपुरा थर्मल, बोकारो स्टील तथा सीसीएल–बीसीसीएल की अन्य कई इकाइयों मे भी ऐसा ही हो रहा है।

पथ निर्माण विभाग ने सारंडा सघन वन क्षेत्र एवं अन्य वन क्षेत्रों में वन विभाग की मुरम सडकों को जिस निर्ममता और निष्ठुरता से चार गुना–पाँच गुना चौड़ा कर उनका कालीकरण–पीसीसीकरण किया है उससे न केवल वहाँ का पर्यावरण प्रभावित हुआ है, पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जैव विविधता को नुकसान पहुँचा है बल्कि वन्य प्राणियों की दैनन्दिन गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर हुआ है। वन्यप्राणियों का स्वाभाविक भ्रमण क्षेत्र अवरुद्ध हुआ है। इतना ही नहीं पथ निर्माण विभाग ने इसके लिये नियमानुसार आवश्यक वन और पर्यावरण अनुमति भी नहीं लिया है। आरक्षित वन क्षेत्रों में प्रकृति का यह नुकसान वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे और उनकी पूरी जानकारी में हुआ है। ऐसे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भरपाई के लिये आवश्यक कार्य योजना

Scanned with OKEN Scanner

लागू करने के लिये निधि का उपबन्ध कहाँ से होगा या इस नुकसान को यूँ ही भगवान भरोसे छोड़ दिया जायेगा?

इसके लिये जो भी जिम्मेदार है वे सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं। अंततः इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। सरकार को ही इसे ठीक करना होगा। पर सरकार के संबंधित विभागों के बजट में इसका कोई उपबंध नही है। प्रकृति को विनष्ट करने वाली मनमाना गतिविधियों के लिये तो इनके पास पर्याप्त बजटीय उपबंध है। यह कार्य तो वे बाजाप्ता डीपीआर बनाकर करते हैं जिसकी संपुष्टि संबंधित विभाग, योजना विभाग, वित्त विभाग, प्राधिकृत समिति और आवश्यक हुआ तो राज्य मंत्रिपरिषद तक से होती है पर इससे हुये प्रकृति और पर्यावरण को हुयी क्षति की भरपाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है और न तो शासन तंत्र ही इसे लेकर विशेष चिंतित है। इसलिये राज्य के बजट में इस हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिये।

इसी तरह खनन क्षेत्रों में राज्य, केन्द्र और निजी प्रतिष्ठानों ने अपनी अविवेकपूर्ण एवं नियम विरुद्ध गतिविधियों से भूमि, जल, वायु का और जलस्रोतों का भारी नुकसान किया है। इन्होंने पर्यावरणीय शर्तों का खुलेआम उल्लंघन किया है और कर रहे हैं। ऐसी जिन खदानों का नवीकरण अथवा अवधि विस्तार नहीं हो रहा है उन्होंने भी और जिनका हो रहा है उन्होंने भी, जो चल रही हैं उन्होंने भी और जो बंद पड़ी हैं उन्होंने भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भारी नुकसान किया है। वे चलें या बंद हो जाय पर उनके द्वारा हुयी क्षति को दुरुस्त कैसे किया जायेगा, किया जायेगा भी या यूँ ही छोड़ दिया जायेगा यह इसपर निर्भर है कि इसके लिये राज्य के स्तर पर कोई कार्य योजना है या नहीं और यदि है तो इसके लिये बजटीय उपबंध की स्थिति क्या है? सरकार के अन्य विभागों के लिये भी ये प्रश्न उतने ही प्रासंगिक हैं।

राज्य में जैविक कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को पर्यावरण सरंक्षण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। काफी पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित एस.आर. सेन कमिटी ने झारखंड क्षेत्र में ट्राइबल एग्रीकल्चर के संदर्भ में अपने प्रतिवेदन में उपयोगी अनुशंसायें की थीं। इस बारे में मैंने पूर्ववर्ती राज्य सरकारों को भी अवगत कराया था। यह प्रतिवेदन अभी भी प्रासंगिक है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास में पर्यावरण संरक्षण का पर्याप्त प्रावधान करने से भूमि और जल स्रोतों की उपयोगिता और स्वच्छता का अभिवर्द्धन संभव है। इसी प्रकार सिंचाई परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलुओं पर भी बारीक नजर रखने की जरूरत है। वन एवं पर्यावरण विभाग तथा ऊर्जा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी इस पहलू को नजरअंदाज करना भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसके लिये संबंधित विभागों की गतिविधियों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्याप्त बजटीय उपबंध इनकी विकास योजनाओं का अंग होना चाहिए।

नगरीय क्षेत्रों में वाहनों से हो रहे प्रदूषण के बारे में तथा नगरों से उत्सर्जित ठोस, रासायनिक एवं अन्य हानिकारक अपशिष्टों से होने वाले प्रदूषण के बारे में न्यायिक निर्णयों के बारे में सरकार भलिभांति परिचित है। कभी–कभी लगता है कि न्यायपालिका के निर्देशों के बाद सरकारी गतिविधियों में अचानक गंभीरता आती है और समय बीतने के साथ पुनः यथास्थिति बहाल हो जाती है। फिर जब पुनः न्यायपालिका कभी किसी वरीय सरकारी अधिकारी को संबंधित मामले में तलब करती है तो विभागीय

Scanned with OKEN Scanner

सक्रियता बढ़ जाती है। यह स्थिति केवल पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित विभागों तक ही सीमित नहीं है। फिर भी वर्तमान संदर्भ में मेरा निवेदन इसी विषय के बारे में है। नगर विकास विभाग को अपनी कार्ययोजना में इस पहलू पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और सरकार को चाहिए कि विभागीय बजट उपबंध में इस पहलू को प्राथमिकता दे। भवन निर्माण और आवास विभाग में भी इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पर्यावरण अनुमति के मापदंडों का गंभीरता से पालन हो।

इनके विस्तार में गये बिना मेरा विनम्र सुझाव है कि विकास परियोजनाओं और आर्थिक गतिविधियों के प्रकृति, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के आकलन और इनके शमन हेतु राज्य के बजट में समुचित उपबंध किये जायं और ये उपबंध सांकेतिक नहीं अपितु प्रभावी हों। जनहित एवं पर्यावरणहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विकास एवं आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये समुचित कर संग्रहण एवं अर्थदंड के प्रावधान बजट में किये जाने चाहिये और आवश्यक हो तो ऐसे प्रावधानों को अधिनियमित भी किया जाना चाहिये। इस बारे में विशेष केन्द्रीय सहायता की तर्कपूर्ण मॉग भी भारत सरकार से की जा सकती है और राज्य के कर ढांचा में भी इसका प्रावधान किया जा सकता है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तथा इस संदर्भ में समुचित बजटीय उपबंध करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ऐसा होने पर राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक बजट को हरित बजट (ग्रीन बजट) की संज्ञा दी जा सकती है और विकास कार्यक्रमों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने की दिशा में इसे एक सार्थक कदम कहा जा सकता है।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार का यह प्रयास झारखंड सदृश प्राकृतिक संसाधन संपन्न राज्य के अक्षय विकास की दिशा में मील के पत्थर की तरह का एक सार्थक कदम साबित होगा।

सधन्यवाद,

25.12.2015

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner